छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक 05/वि.स./संपदा/2016 रायपुर, दिनांक 03/3/2016

//कॉपी प्रिंटर (रिजोग्राफ) क्रय हेतु निविदा//

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, कॉपी प्रिंटर (रीजोग्राफ) हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठित फर्मो से दिनांक 26 मार्च, 2016 को सायं 3:00 बजे तक बाय बैक ऑफर के तहत निविदाएं आमंत्रित करता है । निविदा की विस्तृत शर्ते/जानकारी सचिवालय की संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती है अथवा विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा .

काापी प्रिन्टर (रिजोग्राफ) हेतु निविदा की शर्ते

1. मशीनों की दरें प्रति नग समस्त कर सहित तथा दरों की वैद्यता अवधि उल्लेखित करते हुए देनी होगी ।

2. पुरानी मशीन का अवलोकन कार्यालयीन समय पर सचिवालय की संपदा शाखा में किया जा सकता है ।

3. निविदाकर्ता डी.जी.एस. एण्ड डी. की दरें, यदि कोई हो तो, भी प्रस्तुत कर सकेगा ।

4. निविदाकर्ता को प्रस्तावित मशीन का ब्रोशर भी संलग्न करना होगा तथा निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करनी होगी । प्रस्तावित ए4 / लीगल साईज मशीन में न्यूनतम रिसोल्यूशन 300X300, जूम 71-141 प्रतिशत, पेपर ट्रे कैपेसिटी 500 शीट एवं प्रिंटिंग स्पीड 90 पी.पी.एम. होनी चाहिए ।

5. मशीनों के वार्षिक रख-रखाव दर का पृथक उल्लेख करना होगा ।

6. मशीनों की गारंटी/वारंटी अवधि का उल्लेख करना होगा ।

7. यदि आवश्यक हुआ तो मशीनों का डेमो सचिवालय में स्वयं के व्यय पर करना होगा ।

8. निविदाकर्ता का वाणिज्य कर पंजीयन अनिवार्य होगा ।

9. निविदाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के आयकर गणना पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

10. अधिकृत विक्रेता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।

11. मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण सचिवालय के कर्मचारी को निशुल्क देना होगा ।

12. मुहरबंद निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार मात्र) की एफ.डी. (सावधि जमा) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर के नाम से देय संलग्न करनी होगी । चयनित फर्म की एफ.डी. गारंटी/वारंटी अवधि के पश्चात् वापस की जाएगी ।

13 भावपत्र/प्रस्ताव एवं अमानत राशि की एफ0डी0 पृथक-पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी ।

14. सचिवालय द्वारा क्रय आदेश प्रदाय की तिथि से अधिकतम 20 दिवस के अन्दर वांछित सामग्री सचिवालय में स्वयं के व्यय पर अनिवार्यतः पहुंचानी होगी ।

15. आदेशित सामग्री निर्धारित गुणवत्ता में निर्धारित समयावधि में प्रदाय न करने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।

16. निविदा प्रस्ताव विधानसभा भवन स्थित अनुभाग अधिकारी, संपदा शाखा कक्ष क्रमांक-बी-7 के पास दिनांक 26 मार्च, 2016 अपराह्न 3:00 बजे तक जमा किया जा सकता है । निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी ।

17. निविदा को मान्य या अमान्य करने का प्राधिकार प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा

18. किसी विवाद पर निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर का होगा ।

--00--

(प्रपत्र)

कॉपी प्रिंटर (रीजोग्राफ) का विवरण

क्र	निविदाकर्ता फर्म का नाम	मॉडल (मेक)	गति / कॉपी प्रति मिनट	रिसोल्यूशन	जूम	पेपर ट्रे कैपेसिटी	वारंटी अवधि	पेपर साईज	दर	बायबैक आफर दर	कुल कीमत (कर सहित)	रख-रखाव दर	संलग्न दस्तावेजों का विवरण